कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355,7 Fax 021-2612086

क्रमांक / एफ.46 / मुख्य आवंटन शाखा / 2017 / 4291 दिनांक :: 05/7/ 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 3 जुलाई, 2017 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 जून, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 16 जून, 2017 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 16 जून, 2017 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ग्राम पालडी खिचियान में 4 ए–1 के तहत प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के विरूद्ध अपील बाबत।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम पालड़ी खिचियान खसरा संख्या 80 व 93 पर पैकेज संख्या I से VII की EOI (Expression of Interest) दिनांक 26.12.2016 को s जारी की गयी। उपरोक्त पैकेज में ऑनलाईन बिड डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत करने की **अन्तिम तिथि 06.02.2017 को सांयः 6:00 बजे निर्धारित की गयी थी।**

पालड़ी खिचियान में प्रस्तावित योजना में प्रस्तावित आवासों की संख्या, भुमि तथा लागत निम्न लिखित हैं।

S. No.	Proposed Project	Area of land in ACRE "A"	Application of units			Project lost Calculation (In Crore)
			total unit as per 0.75*A*140 acres	EWS 60%	LIG 40%	
1	villagr Paldi Khichiyan					
	Parcel					
	Package I	35 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	69.678
					Say	70
	Package II	30.68 bigha	1250	750		29.25

5/7/17

		12.27 acre			500	30
					Total	**59.25**
					Say	**60**
	Package III	25.0 bigha	1050	630		24.57
		10 acre			420	25.2
					Total	**49.77**
					Say	**50**
	Package IV	35.0 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	**69.678**
					Say	**70**
	Package V	35.0 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	**69.678**
					Say	**70**
	Package VI	35.0 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	**69.678**
					Say	**70**
	Package VII	40.50 bigha	1700	1020		34.398
		16.2 acre			680	36
					Total	**70.398**
					Say	**71**
Total			**9880**	**5928**	**3952**	**458.13**

उपरोक्त निविदाओं में निर्धारित अवधि तक निम्न दो विकासकर्त्ताओं ने निविदाएं प्रस्तुत की थी।

1. इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लिमिटेड, बाड़मेर।

प्राप्त निविदाओं का तकनीकी आंकलन दिनांक 19.04.2017 को तकनीकी बिड खोलने व आंकलन समिति द्वारा किया गया जिसे साईट पर अपलोड किया गया था। तकनीकी आंकलन में मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लिमिटेड, बाड़मेर को निर्धारित Eligibility Criteria के आधार पर Non-Responsive पाया गया एवं प्राप्त निविदाओं मे से मैसर्स इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वित्तीय बिड खोली गयी।

तकनीकी आंकलन जिसमें मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लि., बाड़मेर को Non-responsive घोषित किया गया, जिसके संदर्भ में मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लि., बाड़मेर ने 30.04.2017 को प्रथम अपील अधिकारी (बिड में निर्धारित) को प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। प्रथम अपील के संबंध में तकनीकी आंकलन के आधार का विस्तृत प्रतिवेदन कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हैं। अतः विषयगत एजेण्डा अनुसार प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2017 में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में तकनीकी मूल्यांकन बाबत अवगत कराया गया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में समिति को अपीलीय अधिकारी का दायित्व निभाना है। लिहाजा अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए एवं तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्होंने पूर्ववतः मूल्यांकन किया था, को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। लिहाजा प्रकरण को स्थगित रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की आगामी बैठक शीघ्र ही आहूत की जावे जिसमें अपीलकर्ता एवं तकनीकी आंकलन

समिति के सदस्यों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मय दस्तावेज उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत है।

निर्णय

उपरोक्त प्रकरण में अपीलाण्ट वडेरा ट्रैड लिंक प्राईवेट लिमिटेड, बाड़मेर की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी साथ ही तकनीकी बिड़ की आंकलन समिति के सदस्यों श्री राजेश बोड़ा, नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं श्री नानूराम जाट, मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सुना गया। बैठक में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि वडेरा ट्रैड लिंक प्राईवेट लिमिटेड, बाड़मेर को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से पूर्व में ग्राम लोरडी पण्डितजी एवं चौखा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत कार्यों का (एल.ए.ओ.) दर अनुमोदन का स्वीकृति पत्र वर्तमान में अपीलाधीन निविदा के भरने से पूर्व दिया गया था। इस प्रकार पूर्व के एल.ए.ओ. को कमीटेड लाईब्लिटी के तहत माना जाना उचित है। जिससे कि अपीलाधीन निविदा में सक्षमता निर्धारित करते समय पूर्व की निविदाओं की राशि को घटाना तर्कसंगत था एवं इस कारण वडेरा ट्रैड लिंक प्राईवेट लिमिटेड, बाड़मेर को अपीलाधीन निविदा में नॉन–रेस्पोन्सिव किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से तकनीकी आंकलन समिति के द्वारा किये गये निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: केन्द्रीय उत्पादक शुल्क विभाग को कार्यालयों के संचालन हेतु भूमि आवंटित करने के संबंध में।

आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय (प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर), जोधपुर द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर व उसके अधीनस्थ कार्यालय व जी.एस.टी. अंकेक्षण आयुक्तालय व अपील्स आयुक्तालय, जोधपुर के कार्यालयों के संचालन हेतु 65,661 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने की मांग की है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि जेडीए अधिकारियों के साथ ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में खाली पड़ी भूमि का अवलोकन करने पर यह जमीन, वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर व उसके अधीनस्थ कार्यालय व जी.एस.टी. अंकेक्षण आयुक्तालय व अपील्स आयुक्तालय, जोधपुर व आवासीय कॉलोनी के उपयोग हेतु उचित प्रतीत हुई है।

वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम जोधपुर का खसरा संख्या 677, किस्म गै.मु. आबादी, कुल रकबा 167–05 बीघा भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी से रेकर्ड एवं मौके की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट आवंटन शाखा से प्राप्त सूची अनुसार उक्त खसरे में से लगभग 105 बीघा भूमि विभिन्न विभागों को आवंटित की जा चुकी है। उक्त खसरे में विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन के पश्चात् लगभग 62 बीघा भूमि प्राधिकरण के खाते में शेष रहती है। तहसीलदार व पटवारी ने वर्तमान मौका–स्थिति अनुसार मौके पर लगभग 40–45 बीघा भूमि रिक्त उपलब्ध बतायी है।

प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवेदित स्थल का भू–उपयोग आवासीय एवं उत्तर दिशा का पार्ट सरकारी आरक्षित क्षेत्र हेतु आरक्षित है।

अतः प्रकरण निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय (प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर), को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र के कम में ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर व उसके अधीनस्थ कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी के लिए 65,661 वर्ग मीटर भूमि (जिसमें कार्यालय हेतु 51,182 वर्ग मीटर एवं आवास हेतु 14,479 वर्ग मीटर) ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 किस्म गैर मुमकिन आबादी में से आवंटित करने के लिए प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण केन्द्रीय सरकार के संगठन को भूमि आवंटन का है। अतः नगरीय विकास विभाग की आज्ञा कमांक प. 3 (268) नविवि/3/2011 दिनांक 3 जुलाई, 2012 एवं 26 जुलाई, 2012 द्वारा केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारित के लिए संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति में दर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे तत्पश्चात् प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या 46/आवंटन मूल/E/C बैठक/17 कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 51/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

5.7.17

(अरूण पुरोहित)
सचिव

कमांक/एफ.46/ मुख्य आवंटन शाखा /2017/4291-13 दिनांक :: 05/7/ 2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

(अरूण पुरोहित)
सचिव

4291-13
05/7/17

परिशिष्ट–1

दिनांक 3 जुलाई, 2017 को दोपहर 12.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री महिपाल कुमार, अतिरिक्त कलक्टर–शहर–द्वितीय, जोधपुर
2.	श्री अनिल शर्मा, तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3.	श्री भानुप्रताप, उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
4.	श्री अतुल बल रत्नू, निदेशक– वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री मुकेश मित्तल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री सुखराम चौधरी, निदेशक–अभियांत्रिकी (अधीक्षण अभियन्ता), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री गौतम जैन, निरीक्षक, कार्यालय पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
9.	श्री राजेश बोडा, सहायक अभियन्ता एवं नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री नानू राम, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री गौतम जैन, निदेशक, वी.आई.पी.एल.,
12.	श्री जितेन्द्र, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13.	श्री एम.एस. चारण, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
14.	श्री दलवीर सिंह ढ़ढ़ढा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री अनवर अली खान, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री श्रवणसिंह, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

5/7/17